**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1982**
**उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2018**

## इंटरनेट टेलीफोनी का प्रारंभ

**1982. डा. संजय सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में इंटरनेट टेलीफोनी प्रणाली का प्रारंभ करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उससे उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सुविधा से विमानों में भी इससे संबंधित टेलीफोनी संपर्क का लाभ लिया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या दूरसंचार प्रचालक ऐसी सेवाओं के लिए सामान्य दरों से अधिक राशि प्रभारित करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री**
**(श्री मनोज सिन्हा)**

(क) अभिगम सेवा प्राधिकार के अंतर्गत एकीकृत लाइसेंसधारकों को इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति पहले से ही दी गई है। एकीकृत लाइसेंस में संशोधन की एक प्रति अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 जून, 2018 को एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है जिसकी प्रति अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(ख) इससे उपभोक्ता ऐसे स्थानों से कॉल कर सकेंगे जहां सेलुलर नेटवर्क कवरेज खराब है लेकिन वहां किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है।

(ग) वर्तमान में, भारत में विमान में 'इन-फ्लाईट' कनेक्टिविटी की मंजूरी नहीं है। सरकार से 'इन-फ्लाईट कनेक्टिविटी' की अनुमति मिल जाने पर इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा की पेशकश की जा सकेगी।

(घ) राष्ट्रीय रोमिंग और ग्रामीण स्थिर टेलीफोनी सेवाओं के प्रशुल्कों को छोड़कर दूरसंचार अभिगम सेवाओं के प्रशुल्क 'फोरबियरेंस' के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं अथवा इन-फ्लाईट सेवाओं के लिए प्रशुल्कों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉलों/डाटा पर लिए जाने वाले प्रभारों को कई तथ्यों यथा निवेश की गई लागत, प्रतिस्पर्धा का स्तर और अन्य वाणिजयिक तर्कों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

जारी.....2/



**अनुबंध-I**

सं. 20-573/2017 एएस-I
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 जून, 2018

सेवा में,

सभी एकीकृत (यूएल) लाइसेंसधारक।

विषय: इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित एकीकृत लाइसेंस में संशोधन।

शर्त 5.1 के अनुसरण में लाइसेंस प्रदाता ने एकीकृत लाइसेंस करार में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

| | **मौजूदा खंड** | **संशोधित खंड** |
|---|---|---|
| 1. | | **अध्याय-VIII**<br>2.6 (ii) अंतरराष्ट्रीय स्थलों से अंतरराष्ट्रीय आउट रोमर्स द्वारा किए गए इंटरनेट दूरभाषी कॉल लाइसेंसीकृत आईएलडीओ के अंतरराष्ट्रीय गेटवे में हस्तांतरित किए जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान टर्मिनेटिंग अभिगम्य सेवा प्रदाता को किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि देश के बाहर से आने वाली इंटरनेट दूरभाषी (टेलीफोनी) आईएलडीओ गेटवे से आ रही हैं तो अभिगम्य सेवा प्रदाता के इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को इंटरनेट दूरभाषी कॉल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, इंटरनेट दूरभाषी का उपयोग करते हुए देश के बाहर से किए गए कॉल किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कॉल की तरह आईएलडी (अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी) गेटवे के माध्यम से भेजे जाएंगे। |
| 2. | | **अध्याय-VIII**<br>2.6(iii) लाइसेंसधारक द्वारा इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल नंबरों वाली श्रृंखला का उपयोग किया जाना चाहिए। टीएसपी को सेल्यूलर मोबाइल सेवा और इंटरनेट दूरभाषी सेवा दोनों के लिए उपभोक्ता को एक ही नंबर आवंटित करने की अनुमति है।<br>अभिगम्य सेवा लाइसेंसधारक को टेलीफोन नंबर मैपिंग के लिए ई.164 से एसआईपी/एच.323 तक एड्रेसेस एवं इसके विपरित अपने नेटवर्क में निजी ईएनयूएम का उपयोग करना चाहिए। |
| 3. | | **अध्याय-VIII**<br>2.6(iv) लाइसेंसधारक को इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित लाइसेंस में यथा-विनिर्दिष्ट पाबंदी एवं निगरानी से संबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए।<br>शुरु/समाप्त किए जाने वाले इंटरनेट दूरभाषी कॉल के लिए प्रयुक्त पब्लिक आईपी एड्रेस को इंटरनेट दूरभाषी के मामले में सीडीआर का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जहां संभव हो आक्षांश और देशांतर के रुप में स्थान का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।<br>इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को सीएलआई प्रतिबंध (सीएलआईआर) सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। |
| 4. | उपभोक्ता को इंटरनेट दूरभाषी के लिए दिया गया आईपी एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबरर्स अर्थारिटी (आईएएनए) की आईपी एड्रेंसिंग स्कीम के अनुरुप ही होगा। आईपी एड्रेस का ई.164 नंबर/निजी नंबर और इसके प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक द्वारा इसके विपरीत अनुवाद लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए दिशोनिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार होगा। | **अध्याय-VIII**<br>2.6 (v) इंटरनेट दूरभाषी के लिए उपभोक्ता को दिया गया आईपी एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबर्स अर्थारिटी (आईएएनए) की आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अनुरुप ही होगा। |
| 5. | | **अध्याय-VIII**<br>2.6 (vi) इंटरनेट दूरभाषी सेवा उपलब्ध कराने वाले लाइसेंसधारक स्थान आधारित सेवाओं का उपयोग करते हुए आपातकालीन नंबर कॉल की सुविधा |

| | | |
|---|---|---|
| | | दें, तथापि, वर्तमान में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं को स्पष्ट रुप से इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने की सीमा के बारे में अवगत कराया जाए। |
| 6. | | **अध्याय-VIII**<br>2.6 (vii) लाइसेंस धारको को इंटरनेट दूरभाषी के लिए उनके द्वारा समर्थित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उपभोक्ता ऐसा निर्णय ले सके जिसकी उसे पहले से जानकारी हो। |

2. ये संशोधन एकीकृत लाइसेंस करार का अभिन्न भाग होंगे और अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी।
3. ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

ह0/-

(आर.के.सोनी)
निदेशक (एएस)
दूरभाष-23036284

प्रतिलिपि प्रेषित-
1. सचिव (ट्राई)
2. वरि.उप महानिदेशक(टीईसी)/बेतार सलाहकार/ वरि. उप महानिदेशक (डीजीटी-मुख्यालय)/वरि. उप महानिदेशक (एलएफपी।/ उप महानिदेशक (एलएफए) और उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ)
3. उप महानिदेशक (सीएस)/ उप महानिदेशक (डीएस)/ उप महानिदेशक (ए/सी)/सीवीओ
4. सीओएआई।
5. निदेशक (आईटी): कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. एएस प्रभाग के सभी निदेशक।

**अनुबंध-।।**

सं. 20-573/2017 एएस-।
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 जून, 2018

सेवा में,

सभी यूएल/यूएल(वीएनओ)/यूएएसएल/सीएमटीएस लाइसेंसधारक।

विषय: इंटरनेट दूरभाषी के संबंध में स्पष्टीकरण।

लाइसेंसों में परिकल्पित इंटरनेट दूरभाषी के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सेवा आधारभूत अभिगम्य नेटवर्क से निर्बाधित है। अत: अभिगम्य सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं को इंटरनेट दूरभाषी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं।

ह0/-
(आर.के.सोनी)
निदेशक (एएस)
दूरभाष-23036284

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव (ट्राई)

2. वरि. उप महानिदेशक (टीईसी)/बेतार सलाहकार/ वरि. उप महानिदेशक (डीजीटी-मुख्यालय)/वरि. उप महानिदेशक (एलएफपी)/ उप महानिदेशक (एलएफए) और उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ)।

3. उप महानिदेशक (सीएस)/ उप महानिदेशक (डीएस)/ उप महानिदेशक (ए/सी)/सीवीओ।

4. सीओएआई।

5. निदेशक (आईटी): कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

6. एएस प्रभाग के सभी निदेशक।

*****